महत्वपूर्ण / फैक्स / ई–मेल

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद – 1

संख्याःकल्याण 12ए–151(अनुकम्पानिधि.)2017 दिनांकःअप्रैल 25, 2017

सेवा मे,

समस्त कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष,
पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश।

विषय : सेवाकाल के दौरान मृत राजकीय कर्मचारियों के आश्रितों को उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता।

कृपया उपयुर्क्त विषयक शासनादेश 1 / 2016 / बी–3–1443 / दस–2016–20(14) / 15 अनु0निधि0 दिनांक 15 दिसम्बर, 2016 एवं उसके साथ संलग्न "उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि नियमावली",उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि से अनुदान हेतु प्रार्थना–पत्र का प्रारूप भाग–1, कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष द्वारा भरे जाने वाला प्रारूप भाग–2 एवं प्रशासनिक विभाग की संस्तुति विषयक प्रारूप भाग–3 **की छायाप्रति संलग्न** कर प्रेषित हैं।

2. उक्त शासनादेश के प्रस्तर–4 में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि **"अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को अग्रसारित करते समय यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि आवेदन पत्र के भाग–1 के कमांक–12 पर लाभार्थियों के बैंक खाते से संबंधित सूचना अंकित है तथा बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्वप्रमाणित छायाप्रति भी संलग्न है एवं कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष द्वारा उक्त विवरण को सावधानीपूर्वक व्यक्तिगत रूप से जांच लिया गया है। लाभार्थी के बैंक खाते से संबंधित सूचना त्रुटिपूर्ण होने की दशा में यदि भुगतान किसी अपात्र व्यक्ति को हो जाता है तो सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष इसके लिए उत्तरदायी होंगे और उनसे धनराशि की वसूली कर पात्र लाभार्थी / लाभार्थियों को भुगतान कराया जायेगा।"**

3. **उपर्युक्त शासनादेश एवं नियमावली आदि के भली–भॉति परिशीलन के उपरान्त ही सेवाकाल के दौरान मृत राजकीय कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता की स्वीकृति के प्रस्ताव नियमानुसार सुसंगत अभिलेखों / सूचनाओं एवं सुस्पष्ट संस्तुति के साथ निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए शासकीय स्वीकृति हेतु पुलिस मुख्यालय को प्रेषित किया जाना अपेक्षित है :–**

(i) 24 बिन्दुओं के निर्धारित प्रारूप की **संलग्न** चेकलिस्ट में अपेक्षित सूचनाएं परीक्षणोपरान्त सही एवं स्पष्ट रूप से अंकित की जायें। चेकलिस्ट का प्रत्येक पृष्ठ कार्यालयाध्यक्ष के नाम / पदनाम की मुहर सहित प्रमाणित होना अनिवार्य है।

(ii) उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि से अनुदान हेतु आवेदक / आवेदिका का प्रार्थना–पत्र प्रारूप भाग–1 में अपेक्षित सूचनाएं परीक्षणोपरान्त आवेदक / आवेदिका द्वारा सही एवं स्पष्ट रूप से अंकित की जायें। प्रारूप भाग–1 में आवेदक / आवेदिका के दिनांक सहित हस्ताक्षर होने आवश्यक है। प्रारूप भाग–1 में अंकित सूचनाओं से संबंधित प्रत्येक पृष्ठ कार्यालयाध्यक्ष के नाम / पदनाम की मुहर सहित प्रमाणित होना अनिवार्य है।

(iii) कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष द्वारा भरे जाने वाले प्रारूप भाग–2 में अपेक्षित सूचनाएं परीक्षणोपरान्त पूर्णतया सही एवं स्पष्ट रूप से अंकित की जायें तथा उसे कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नाम / पदनाम की मुहर सहित प्रमाणित किया जाना अनिवार्य है।

(iv) स्व0 कर्मी की मृत्यु की परिस्थितियों / कारण का संक्षिप्त विवरण अलग से संलग्न किया जाये तथा उसे कार्यालयाध्यक्ष के नाम / पदनाम की मुहर सहित प्रमाणित होना अनिवार्य है।

(v) प्रस्ताव के साथ कार्यालयाध्यक्ष के नाम / पदनाम की मुहर सहित प्रमाणित स्व0 कर्मी का मृत्यु प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

(vi) आवेदक / आवेदिका द्वारा उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने हेतु कार्यालयाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाला प्रथम प्रार्थना–पत्र कार्यालयाध्यक्ष के नाम / पदनाम की मुहर एवं दिनांक सहित पृष्ठांकित होना अनिवार्य है ताकि स्पष्ट हो सके कि आवेदक / आवेदिका द्वारा इस लाभ हेतु किस तिथि को प्रथम प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

.....2

(vii) कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सावधानीपूर्वक व्यक्तिगत रूप से जांच लिया जाय कि "अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्र प्रारूप भाग–1 के कमांक–12 पर लाभार्थियों के बैंक खाते से संबंधित सूचना अंकित है तथा बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति लाभार्थी द्वारा स्वप्रमाणित कर संलग्न की गई है। लाभार्थी के बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्वप्रमाणित छायाप्रति कार्यालयाध्यक्ष के नाम/पदनाम की मुहर सहित प्रमाणित होनी अनिवार्य है।

(viii) नियमावली के नियम–4 में प्राविधानित है कि जब तक अन्यथा कार्यवाही को न्यायोचित ठहराने वाली आपवादिक परिस्थितियॉ न हो तब तक समिति ऐसे मामलों में निधि से अनुदान देने की सिफारिश साधारणतया स्वीकार नही करेगी जिनमें :–

(1) मृत कर्मचारी ने एक वर्ष से कम सरकारी सेवा की हो, और

(2) आनुतोषिक हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र कर्मचारी की मृत्यु के 5 वर्ष पश्चात दिया गया हो।

(ix) संलग्न किए जा रहे अग्रसारण पत्र के प्रारूप के अनुसार अग्रसारण पत्र द्वारा प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को प्रेषित किया जाय।

(x) प्रस्ताव के साथ संलग्न किए गये अन्य सुसंगत अभिलेख/प्रपत्र कार्यालयाध्यक्ष के नाम/पदनाम की मुहर सहित प्रमाणित होने अनिवार्य है।

4. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5. उक्त शासनादेश शासन द्वारा इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। इस पर हस्ताक्षर नही हैं। शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट **http://shasanadesh.up.nic.in** से सत्यापित की जा सकती है।

संलग्नकःयथोपरि।

(जुगुल किशोर)
पुलिस अधीक्षक, भवन/कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

संख्या-1/2016/बी-3-1443/दस-2016-20(14)/15 अनु०नि०

प्रेषक,

मुकेश मित्तल,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष, जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश
एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 15 दिसम्बर, 2016

विषय:- सेवाकाल के दौरान मृत राजकीय कर्मचारियों के आश्रितों को उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-बी-3-3065/दस-2000-4(1)/86 अनु०नि०, दिनांक 30-08-2000 द्वारा उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि नियमावली की प्रतिलिपि समस्त विभागाध्यक्षों एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों को प्रेषित की गयी थी। शासनादेश संख्या-बी-3790/दस-2001-4(1)86-अनु०नि०, दिनांक 18 अक्टूबर, 2001 द्वारा किसी एक व्यक्ति के मामले में आनुतोषिक की न्यूनतम राशि रूपये 20,000 से बढ़ाकर रूपये 25,000 तथा अधिकतम धनराशि रूपये 75,000 से बढ़ाकर रूपये 1,00,000 की गयी। शासनादेश संख्या-बी-3-1648/दस-2011-20(14)11-अनु०नि०, दिनांक 26 जुलाई, 2011 द्वारा निधि से वार्षिक अनुदान की अधिकतम धनराशि रूपये 80 लाख से बढ़ाकर रूपये 01 करोड़ की गयी।

2- उक्त नियमावली में लाभार्थियों को देय आनुतोषिक का भुगतान बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था थी। शासन के संज्ञान में ऐसे कई प्रकरण आये, जिनमें बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक बनने में विभिन्न स्तरों पर विलम्ब हुआ तथा उनमें नाम, धनराशि आदि की त्रुटि के साथ-साथ बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक या तो डाक की देरी के कारण लाभार्थियों को विलम्ब से प्राप्त होने अथवा खो जाने की शिकायतें भी प्राप्त हुयीं। इन समस्याओं के निराकरण हेतु सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उ०प्र० अनुकम्पा निधि से अनुमन्य आनुतोषिक का भुगतान लाभार्थियों को ई-पेमेण्ट के माध्यम से किया जाये।

3- शासनादेश दिनांक 18 अक्टूबर, 2001 एवं शासनादेश दिनांक 26 जुलाई, 2011 द्वारा किये गये संशोधनों एवं "ई-पेमेण्ट" के माध्यम से भुगतान हेतु नियमावली के प्रस्तर-8 में आवश्यक निर्देशों का समावेश करते हुए नियमावली संशोधित कर दी गयी है जो इस शासनादेश के साथ संलग्न है।

4- अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को अग्रसारित करते समय यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि आवेदन पत्र के भाग-1 के क्रमांक-12 पर लाभार्थियों के बैंक खाते से संबंधित सूचना अंकित है तथा बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्वप्रमाणित छायाप्रति भी संलग्न है एवं कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा उक्त विवरण को सावधानीपूर्वक व्यक्तिगत रूप से जांच लिया गया है। लाभार्थी के बैंक खाते से संबंधित सूचना त्रुटिपूर्ण होने की दशा में यदि भुगतान किसी अपात्र व्यक्ति को हो जाता है तो सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष इसके लिए उत्तरदायी होंगे और उनसे धनराशि की वसूली कर पात्र लाभार्थी/लाभार्थियों को भुगतान कराया जायेगा।

भवदीय,

(मुकेश मित्तल)
सचिव।

AI-A

विशेष कार्याधिकारी (कल्याण)
उ० प्र० पुलिस मुख्यालय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

......4

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार प्रथम/द्वितीय (लेखा/आडिट), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
3- विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय।
4- राज्यपाल सचिवालय।
5- महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

आज्ञा से,

(आलोक दीक्षित)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

.....5

उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि नियमावली

उद्देश्य

1- अनुकम्पा निधि का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के राजस्व से वेतन पाने वाले राज्य कर्मचारियों के उन परिवारों की सहायता करना है जो ऐसे व्यक्ति, जिस पर वे पालन पोषण के लिए निर्भर थे, की असामयिक मृत्यु के कारण निर्धनावस्था में पड़ गये हैं।

टिप्पणी:- इस नियम के प्रयोजनार्थ शब्द "परिवार" में मृत सरकारी कर्मचारी के निम्नलिखित सम्बन्धियों में से केवल वे ही सम्मिलित माने जायेंगे जो मृत्यु के समय उस पर पूर्णतया आश्रित थे - पत्नी, पति, वैध संतान, सौतेली संतान, पिता और माता। संतान की अधिकतम संख्या दो तक सीमित रहेगी। अविवाहित पुत्री तथा बेरोजगार पुत्र की दशा में अधिकतम आयु सीमा पारिवारिक पेंशन हेतु अर्हता के अनुरूप 25 वर्ष रहेगी। पत्नी को छोड़कर पति अथवा संतान के सेवायोजन की स्थिति में वे (पति/संतान) आश्रित नहीं माने जायेंगे। अतः उनके द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर विचार नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 25 वर्ष से अधिक आयु के संतान भी मृतक आश्रित नहीं माने जायेंगे।

निधि की वार्षिक धनराशि

2- निधि की वार्षिक अनुदान की अधिकतम धनराशि 100 लाख रूपये होगी। इस निमित्त प्रत्येक वर्ष के आय-व्ययक में आवश्यकतानुसार प्राविधान उपर्युक्त अधिकतम सीमा तक कराया जा सकेगा।

निधि का प्रशासन

3- सरकार ने इस निधि के प्रशासन एवं सरकार को परामर्श देने के लिए "उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि समिति" नामक एक समिति नियुक्त की है। प्रमुख सचिव, वित्त अथवा वित्त सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे तथा चार सदस्य और होंगे जिनमें सरकार के गृह, आवास, नगर विकास और राजस्व विभाग के सचिव अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव होंगे। वित्त विभाग का कोई उप सचिव या उससे उच्च स्तर का अधिकारी समिति का पदेन सचिव होगा।

निधि से आनुतोषिक हेतु पात्रता

4- जब तक अन्यथा कार्यवाही को न्यायोचित ठहराने वाली आपवादिक परिस्थितियां न हों तब तक समिति ऐसे मामलों में निधि से अनुदान देने की सिफारिश साधारणतया स्वीकार नहीं करेगी जिनमें :-

(1) मृत कर्मचारी ने एक वर्ष से कम सरकारी सेवा की हो, और

(2) आनुतोषिक हेतु प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र कर्मचारी की मृत्यु के 5 वर्ष पश्चात दिया गया हो।

आनुतोषिक स्वीकृति की प्रक्रिया

5- मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार द्वारा एक प्रार्थना-पत्र निर्धारित प्रपत्र में उन कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा जिसके अधीन मृत कर्मचारी अन्तिम समय कार्यरत रहा हो। परिवार द्वारा प्रार्थना-पत्र के प्रथम भाग में अपेक्षित सम्पूर्ण सूचना कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष प्रार्थना-पत्र के भाग-2 में अपेक्षित सूचना सावधानीपूर्वक भरकर प्रार्थना-पत्र को शासन के संबंधित प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करेंगे। नियमावली के प्राविधानों के अनुसार प्रस्ताव का परीक्षण करके प्रशासनिक विभाग सभी संबंधित अभिलेख तथा प्रार्थना-पत्र के भाग-3 में अपनी संस्तुति सहित संक्षिप्त टिप्पणी, जिसमें मामले के पूरे तथ्य स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो, वित्त विभाग को सात प्रतियों में प्रस्तुत करेंगे। वित्त विभाग टिप्पणी को समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

.....6

समिति की बैठक

6- (1) समिति की बैठक प्रत्येक वर्ष आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकती है और आवश्यकता पड़ने पर किसी एक वर्ष में कई बैठकें बुलाई जा सकती है।

(2) समिति नियम-7 में उल्लिखित न्यूनतम और अधिकतम सीमाओं के अधीन रहते हुए निधि से आनुतोषिक प्रदान किये जाने के संबंध प्रत्येक मामले में विचार करके अपनी संस्तुति सरकार को प्रस्तुत करेगी।

आनुतोषिक की धनराशि

7- किसी एक व्यक्ति के मामले में देय आनुतोषिक की न्यूनतम राशि 25,000 रूपये तथा अधिकतम 1,00,000 रूपये होगी। ठीक-ठीक राशि सभी मामलों में परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार निश्चित की जायेगी। साधारणतया दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पूर्व के प्रकरण में दिनांक 01 जनवरी, 1996 से लागू वेतनमान (पुराना वेतनमान) के आधार पर मृतक के एक आश्रित होने पर मृतक के मृत्यु के समय के मूलवेतन (महंगाई वेतन को छोड़कर) के दो गुने के बराबर, दो आश्रित होने पर उक्त मूलवेतन के चार गुने के बराबर और इसी प्रकार अधिकतम 05 आश्रित होने पर उक्त मूलवेतन के 10 गुने के बराबर धनराशि तथा दिनांक 01 जनवरी, 2006 के बाद के प्रकरण में दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना के आधार पर मृतक के एक आश्रित होने पर मृतक की मृत्यु के समय वेतन बैण्ड में वेतन के दो गुने के बराबर, दो आश्रित होने पर वेतन बैण्ड में वेतन के चार गुने के बराबर और अधिकतम पांच आश्रित होने पर वेतन बैण्ड के वेतन के दस गुने के बराबर धनराशि निर्धारित करते हुए उपर्युक्त निहित न्यूनतम और अधिकतम सीमा के अन्तर्गत स्वीकृत की जायेगी। वेतन बैण्ड में वेतन का आशय मूलवेतन में से ग्रेड वेतन को घटाकर होगा। यदि किसी प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी अन्य फण्ड से कोई आर्थिक सहायता अनुकम्पा के रूप में दी गयी हो तो निधि से नियमानुसार अनुमन्य सहायता की राशि में से उतनी धनराशि कम करके अन्तर की धनराशि के समतुल्य राशि की सहायता स्वीकृत की जायेगी। जिन प्रकरणों में अनुमन्य धनराशि से अधिक धनराशि किसी अन्य फण्ड से स्वीकृत की गयी है तो उनमें सामान्यतया निधि से सहायता स्वीकृत नहीं की जायेगी।

समिति की संस्तुतियों पर अग्रतर कार्यवाही

8- सरकार का वित्त विभाग समिति की संस्तुतियों पर विचार करेगा और वित्त मंत्री के अनुमोदन से आवश्यक निर्णय लेकर आदेश जारी करेगा। आदेशों की प्रति संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष तथा महालेखाकार को भी यथारीति भेजी जायेगी। प्रत्येक मामले में स्वीकृत धनराशि का भुगतान लाभार्थी को उसके बैंक खाते में वित्त विभाग द्वारा सीधे ई-पेमेण्ट के माध्यम से कराया जायेगा। ई-पेमेण्ट हेतु बैंक तथा शाखा का नाम, खाता संख्या एवं IFSC Code की सूचना लाभार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र के भाग-1 में यथास्थान उपलब्ध करायी जायेगी तथा इनका सत्यापन कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जायेगा तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र, प्रार्थना-पत्र के भाग-2 के क्रमांक-15 पर दिया जायेगा।

आगणन की कार्यवाही

9- अनुकम्पा निधि से देय धनराशि का आगणन विभागाध्यक्ष स्तर पर वित्त नियंत्रक द्वारा तथा शासन स्तर पर प्रशासकीय विभाग के आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए प्रशासकीय विभाग स्वयं उत्तरदायी होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

.....7

10- निधि से स्वीकृत किये जाने वाली आनुतोषिक की विनियात्मक शर्तें निम्नलिखित हैः- साधारण शर्तें

(1) अन्य बातों के रहते हुये ऐसे मामलों में वरीयता दी जानी चाहिए जिनमें मृत कर्मचारी कम वेतन पाते रहे हों।

(2) ऐसे सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिनकी मृत्यु कर्तव्य पालन करते हुए होती है और जिन्हें अलग से आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान दूसरे विभागीय नियमों/आदेशों में है, के मामलों में इस निधि से साधारणतया सहायता नहीं दी जायेगी।

(3) निधि से दिये जाने वाले अनुदान आपवादिक प्रकार के मामले तक सीमित रहते हैं।

(4) ऐसी मृत्यु जो कर्तव्य के प्रति विशेष निष्ठावान रहने के कारण हुई हो, अनुदान दिये जाने के प्रश्न पर विचार किये जाने की मांग बलवती हो जाती है।

(5) साधारण मामलों में उन कर्मचारियों/अधिकारियों के परिवार को वरीयता दी जानी चाहिए जो अनेक वर्षों तक सेवा कर चुके हैं किन्तु अपनी पैंशन प्राप्त नहीं कर पाये हैं।

(6) साधारणतया ऐसे सरकारी कर्मचारियों के मामलों पर, जिनकी सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु होती है, निधि से सहायता देने पर विचार नहीं किया जायेगा, किन्तु ऐसे आपवादिक मामलों में अनुदान दिये जा सकते हैं, जिनमें सरकारी कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति होने के छः माह के भीतर मृत्यु हो जाये और वह अपने परिवार के लिए व्यवस्था न कर सका हो परन्तु अनुदान अत्यन्त आपवादिक परिस्थितियों में ही दिये जायेंगे। उदाहरणार्थ, ऐसी परिस्थितियों में जिनमें सरकारी कर्मचारी को रोगवश सेवा से अयोग्य करार दे दिया गया हो और उसके बाद ही उसकी मृत्यु हो गयी हो और अपनी बीमारी के कारण अपने परिवार के लिए कोई व्यवस्था न कर सका हो तथा परिवार को निराश्रित छोड़ गया हो।

(7) इस बात की सावधानी बरतनी चाहिए कि उन कर्मचारियों/अधिकारियों के परिवारों को बहुत अधिक अनुदान न दिये जायें जो सरकार के मुख्यालय में काम करते रहे हों।

(8) निधि से कोई पैंशन न दी जाय।

(9) निधि से प्रत्येक मामले में एक से अधिक आनुतोषिक न दिया जाय।

(10) पुत्रियों के विवाह के लिए निधि से किसी प्रकार का दहेज नहीं दिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

.....8

उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि से अनुदान हेतु प्रार्थना-पत्र का प्रारूप

भाग-1

आवेदक द्वारा भरा जायेगा

1- मृत राज्य कर्मचारी का नाम तथा पदनाम -

2- कार्यालय का पता जहां मृत्यु के समय वह कार्यरत थे -

3- मृत्यु का कारण -

4- मृत्यु की तारीख -

(आवेदक के संबंध में विवरण)

5- आवेदक का पूरा नाम तथा मृतक से संबंध -

6- निवास स्थान का पूरा पता -

(क) स्थायी

(ख) पत्र व्यवहार का पता

7- आवेदक के पहचान के चिन्ह -

8- आवेदक का वर्तमान धन्धा एवं मासिक आय तथा परिवार की आर्थिक स्थिति -

9- मृतक द्वारा छोड़ी गई चल/अचल सम्पति तथा उससे सम्भावित वार्षिक आय -

10- मृतक ने यदि कोई व्यक्तिगत बीमा कराया था तो उसकी धनराशि तथा प्राप्ति की तिथि/स्थिति -

11- उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि से प्रार्थित अनुदान की राशि-

12- भुगतान का स्थान -

(क) लाभार्थी का नाम -

(ख) बैंक तथा शाखा का नाम -

(ग) खाता संख्या -

(घ) IFSC Code -

नोट :- बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

13- मृत कर्मचारी के आश्रितों की संख्या तथा विवरण :-

क्र0सं0	नाम	आयु	मृत कर्मचारी से संबंध
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

14- यदि पुत्र एवं पुत्रियां अध्ययनरत हों तो उनके विवरण :-

क्र0सं0	नाम	कक्षा	विद्यालय का नाम जहां अध्ययनरत हैं
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

दिनांक 20 ई0 आवेदक के हस्ताक्षर

<u>घोषणा-पत्र</u>

मैं ---------- पत्नी/पति/माता/पिता/पुत्र/पुत्री/स्व0श्री/श्रीमती---------- यह प्रमाणित करता/करती हूं कि जो विवरण ऊपर दिये गये हैं मेरी जानकारी में वे सही हैं। यदि प्रार्थना-पत्र में दिये गये तथ्यों में कोई तथ्य गलत पाया जाय तो उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता स्वीकार होने की दशा में उसकी पूर्ण धनराशि एक मुश्त मुझसे मेरी स्थाई अथवा अस्थाई सम्पत्ति से वसूल की जा सकती है।

दिनांक 20 ई0 आवेदक के हस्ताक्षर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

.....10

भाग-2

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

1- मृत राज्य कर्मचारी का पूरा नाम तथा पदनाम

2- मृत्यु के समय का वेतन

3- सेवा की अवधि

4- स्थायी अथवा अस्थायी

5- मृतक के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि/अंशदायी (कन्ट्रीब्यूटरी) भविष्य निधि में जमा वास्तविक /अनुमानित धनराशि तथा उसके भुगतान की स्थिति

6- मृतक के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि से सम्बद्ध बीमा योजना (डिपाजिट लिंक्ड इन्श्योरेंस स्कीम) के अन्तर्गत प्राप्य/प्राप्त वास्तविक/अनुमानित धनराशि तथा उसके भुगतान की स्थिति

7- मृतक के परिवार को प्रस्तावित स्वीकृत पारिवारिक पेंशन की धनराशि व भुगतान की स्थिति

8- मृतक के परिवार को अनुमन्य मृत्यु एवं अपिवर्धिता आनुतोषिक की वास्तविक/अनुमानित धनराशि तथा उसके भुगतान की स्थिति

9- मृतक के अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के नकदीकरण से प्राप्य/प्राप्त वास्तविक/अनुमानित धनराशि तथा उसके भुगतान की स्थिति

10- मृतक के परिवार को सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत प्राप्य/प्राप्त धनराशि व भुगतान की स्थिति

11- मृतक के परिवार को यदि किसी वैभागिक परोपकारी कोष से सहायता स्वीकृत की गयी हो या स्वीकृत होने की आशा हो तो उसका पूर्ण विवरण

12- मृतक ने यदि अपने सेवाकाल के दौरान कोई राजकीय ऋण/अग्रिम लिया तो ब्याज सहित उसकी वसूली की स्थिति

13- "उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974" के अधीन यदि मृतक के किसी आश्रित को सरकारी सेवा में लिया गया हो तो उसके पूर्ण विवरण एवं उसकी मासिक परिलब्धियां, यदि नहीं, तो क्यों ?

14- प्रस्तावित अनुदान की राशि

15- भाग-1 के क्रमांक-12 पर आवेदक द्वारा अंकित बैंक खाते से संबंधित सूचना को मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जांच लिया गया है

दिनांक 20 ई0 संस्तुत करने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर
और पदनाम
प्रति हस्ताक्षरित

दिनांक 20 ई0 विभागाध्यक्ष का हस्ताक्षर
पदनाम

टिप्पणी - (क) यदि तालिका में उपलब्ध स्थान वांछित सूचना के लिये अपर्याप्त हो तो वांछित विवरण अलग संलग्न कर दिया जाय।
(ख) अनावश्यक शब्द काट दिये जायँ।
(ग) सरकार को प्रार्थना-पत्र समर्पित करने के पूर्व उपरोक्त सभी विवरण विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित होने चाहिये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

.....11

भाग-3

प्रशासनिक विभाग की संस्तुति

शासन का यह विभाग ---------- (विभागाध्यक्ष की संस्तुति को ध्यान में रखते हुये) समुचित विचारोपरान्त स्वर्गीय श्री ---------- के परिवार का उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि से केवल रूपये ---------- की आर्थिक सहायता स्वीकृत किये जाने के औचित्य से सहमत है और तदनुसार सहायता की संस्तुति करता है।

प्रमाणित किया जाता है कि विभागीय कर्मचारियों की मृत्यु की दशा में उनके परिवार को सहायता के लिये इस विभाग के अधीन कोई और विभागीय निधि नहीं है ---------- निधि है जिसमें से स्वर्गीय श्री ---------- के परिवार को ---------- रूपये की सहायता स्वीकृत कर दी गई है/स्वीकृत किये जाने की सम्भावना है।

( )
प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन
---------- विभाग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

.....12

उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता हेतु अग्रसारण पत्र का प्रारूप

कार्यालय .....

संख्याः ..... दिनांकः .....

सेवा में,

.....

विषयः जनपद.....के स्व0.....के आश्रितों को उ0प्र0 अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता।

मृतक स्व0.....जनपद.....में अस्थायी/स्थायी रूप से.....के पद पर कार्यरत थे। दिनांक.....को असामयिक मृत्यु हो गयी। मृतक अपनी सेवा के दौरान एक उत्कृष्ट राजकीय कर्मचारी रहा है एवं उसकी सेवा कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रही है। मृतक ने .....वर्ष.....माह.....दिन तक राजकीय सेवा की है। मृतक की मृत्यु के समय मूल वेतन रू0...../– प्रतिमाह था। स्व0.....की असामयिक मृत्यु हो जाने के कारण उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सोचनीय हो गयी है। मृतक की पत्नी ने अनुदान हेतु दिनांक..... प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। मृतक के परिवार में सम्मिलित निम्नांकित सदस्य हैं, जो मृत्यु के समय उनके ऊपर पूर्णतया आश्रित थे :–

क0सं0	मृतक के परिवार में सम्मिलित सदस्य	मृतक की मृत्यु की तिथि को आयु	मृतक से सम्बन्ध
1.	श्रीमती	.....वर्ष	पत्नी
2		.....वर्ष	
3		.....वर्ष	

मृतक के आश्रित को पारिवारिक पेंशन रू0...../– प्रतिमाह मिल रही है। इसके अतिरिक्त मृतक के आश्रितों को अन्य शासकीय मदों से जो धनराशि का भुगतान किया गया है, उसका विवरण निम्न प्रकार है :–

1.	जी0पी0एफ0 रू0 ...../–	4.	अवकाश नगदीकरण रू0 ...../–
2.	जी0पी0एफ0 से संबद्ध बीमा रू0...../–	5.	सामूहिक बीमा रू0 ...../–
3.	ग्रेच्युटी रू0 ...../–	6.	पी0बी0एफ0 रू0 ...../–

मृतक के आश्रित पुत्र की मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित किया/नही गया है। मृतक स्व0 .....ने अपनी सेवाकाल में कोई राजकीय ऋण/अग्रिम नहीं लिया है। मृतक एक अल्प वेतन भोगी कर्मचारी है। मृतक के इस असामयिक मृत्यु होने से उसके परिवार की आर्थिक स्थिति सोचनीय हो गई है। अतः मृतक के आश्रितों को उनकी वर्तमान कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुये नियमों के अधीन राज्य अनुकम्पा निधि से अनुदान स्वीकृत किया जाय।

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में मानवीय उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए मृतक स्व0 .....के आश्रित पत्नी श्रीमती .....को उ0प्र0 अनुकम्पा निधि से नियमानुसार मूल वेतन के 0 गुना के बराबर (0 आश्रितX2) के बराबर रू0 ...../–(रूपये ..... मात्र) की धनराशि अनावर्तक अनुदान स्वीकृत किये जाने की सबल संस्तुति की जाती है।

वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक/सेनानायक
का नाम/हस्ताक्षर

मृत कर्मियों के आश्रितों को अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता हेतु शासन को प्रस्ताव सन्दर्भित किए जाने के सम्बन्ध में चेकलिस्ट का प्रारूप

क0सं0	विषय	विवरण
1	मृत कर्मी का नाम व पदनाम	
2	मृत्यु की तिथि	
3	मृत कर्मी का स्थाई व अस्थाई पता	1. स्थायी पता– 2. अस्थायी पता–
4	तैनाती का जनपद/इकाई	
5	मृत्यु के समय ग्रेड पे	
6	ग्रेड पे को छोडकर मूलवेतन	
7	मंहगाई भत्ता/वेतन **(1 जनवरी 2006 से पूर्व के प्रकरण में)**	
8	मंहगाई भत्ते को छोडकर मूल वेतन **(1 जनवरी 2006 से पूर्व के प्रकरण में)**	
9	सेवा की अवधि	.....वर्ष .....माह .....दिन
10	देय जी0पी0एफ0 की धनराशि व निर्गत की तिथि	
11	जी0पी0एफ0 से सम्बधित बीमा की धनराशि एवं निर्गत की तिथि	
12	देय पारिवारिक पेंशन की धनराशि	
13	ग्रेज्युटी की धनराशि व निर्गत की तिथि	
14	अर्जित अवकाश नगदीकरण की धनराशि व निर्गत की तिथि	
15	सामूहिक बीमा की धनराशि व निर्गत की तिथि	
16	राजकीय ऋण/अग्रिम की स्थिति	
17	मृत कर्मी के आश्रित के सेवायोजन की अद्यतन स्थिति	
18	अनुकम्पा निधि नियमावली के अन्तर्गत संस्तुति की गयी अनुकम्पा की धनराशि	
19	मृत कर्मी के आश्रितो की संख्या **(नाम उम्र सहित)**	
20	उपरोक्त मदों के अतिरिक्त अन्य मदों से आश्रितों को दी गयी सहायता धनराशि का पूर्ण विवरण	
21	अनुकम्पा धनराशि हेतु आश्रित द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र की तिथि	
22	आवेदक/आवेदिका का बैंक खाता संख्या/आई0एफ0सी0 कोड/जनपद सहित बैंक व शाखा का नाम **(कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित)**	
23	आवेदक/आवेदिका के बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्वप्रमाणित छायाप्रति	
24	पुलिस मुख्यालय उ0प्र0 इलाहाबाद की स्पष्ट संस्तुति	

वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक/सेनानायक
के हस्ताक्षर नाम/पदनाम की मुहर सहित